मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 17/02/2025 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ मंत्रालय स्थित वीडियो कान्फ्रेंस कक्ष क्रमांक 117 में मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 17-02-2025 सायंकाल 04:30 बजे से आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक तथा विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों से मंडी सचिव उपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

(1) बैलेंस शीट:-

संभागवार मंडी समितियों में बैलेंस शीट, टैली इंस्टालेशन तथा मंडी में सी.ए. की नियुक्ति हुई है अथवा नहीं इस स्थिति की समीक्षा की गई। इंदौर संभाग में मंडी समिति सनावद, झाबुआ, अलिराजपुर, कसरावद, बलवाडी ने टैली साफ्टवेयर में कार्य नहीं किया है। संयुक्त संचालक इंदौर संभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मंडियों के मंडी सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें। संयुक्त संचालक उज्जैन संभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उज्जैन संभाग की 12 मंडियों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखे तैयार किए जा चुके है तथा 30 में शेष है। इसी प्रकार भोपाल संभाग की 36 मंडियों में, ग्वालियर संभाग की 45 मंडियों में, सागर संभाग की 27 मंडियों में तथा रीवा संभाग की 13 मंडियों वर्ष 2023-24 के अंतिम लेखे तैयार किए जा चुके है तथा मंडी समिति लटेरी, गुलाबगंज एवं मूंदी में सी.ए.

की नियुक्ति नहीं हुई है। जबलपुर संभाग की मंडियों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। मंडी समिति कटनी, बालाघाट, छतरपुर के सचिव समय प्राप्त कर मुख्यालय आकर बैलेंस शीट का अवलोकन कराएंगे। मंडी समिति रेहली के द्वारा प्रविष्टि कार्य नहीं किया गया है तथा मंडी सचिव रेहली श्री विनय कुमार चौबे बिना समक्ष स्वीकृति के राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे संयुक्त संचालक सागर संभाग मंडी सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अवकाश अवैतनिक करें। आंचलिक संयुक्त संचालक स्वयं मंडी समितियों के बैलेंस शीट, टैली इंस्टालेशन तथा सी.ए.नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग करें एवं कार्य की गुणवत्ता जांचे, नये वित्तीय वर्ष में 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया।

(2) मंडी समितियों की आवक/आय की समीक्षा:-

संभागवार मासिक आवक में वर्ष 2024 से तुलना में जबलपुर संभाग की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। संभागवार प्रगामी आवक 2023-24 से तुलना में इंदौर संभाग की आवक 3.06 प्रतिशत ऋणात्मक, उज्जैन 10.11 प्रतिशत ऋणात्मक रही है। संयुक्त संचालक इंदौर संभाग द्वारा कपास की आवक 35 प्रतिशत कम होना बताया गया। आवक में ऋणात्मक मंडियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडी समिति मक्सी के सचिव समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे, मंडी सचिव मक्सी को सुनवाई हेतु मुख्यालय आहूत करें। प्रगामी आवक में कमी के आधार पर श्रेणीवार Bottom 05 मंडियों में "क" वर्ग में बदनावर, सिहोरा, शुजालपुर,धार, उज्जैन "ख" वर्ग में निवाडी, सांवेर, ब्यावरा, नरसिंहगढ, महिदपुर "ग" वर्ग में श्योपुरबडोद, नागदा, सोनकच्छ, गौतमपुरा एवं "घ" वर्ग में मक्सी, गुलाबगंज, बागली, मोमनबडोदिया, छापीहेडा मंडी समितियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें। प्रदेश की "घ" वर्ग Bottom 10 मंडियां, प्रगामी आवक के आधार पर मंडी समिति सुवासरा, बकस्वाहा, मक्सी, जावद, भानपुरा की आवक ऋणात्मक रही है, इन सभी मंडी सचिवों को इनकी पदस्थ

अवधि को देखते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें। माह जनवरी 2025 की आवक के आधार पर "क" वर्ग की टॉप 05 मंडियों में डबरा, विदिशा, बरेली, गंज बासौदा, अशोकनगर है। प्रदेश की श्रेणीवार प्रगामी आय के आधार पर "क" वर्ग की टॉप 05 मंडी छिंदवाडा, बरेली,इंदौर, बैतूल तथा पिपरिया रही हैं। उपसंचालक आंचलिक कार्यालय रीवा द्वारा बताया गया मैहर मंडी की आय कम होने का कारण समर्थन मूल्य का पैसा नागरिक आपूर्ति निगम से प्राप्त नहीं होना बताया गया। ग्वालियर संभाग में कैलारस मंडी की स्थिति खराब है, संयुक्त संचालक समीक्षा करें। उज्जैन संभाग की नीमच मंडी को छोडकर शेष सभी मंडियों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक मंडियों की आय-आवक की समीक्षा करें आगामी बैठक में 31 मार्च 2025 की स्थिति में समीक्षा आय-आवक के आधार पर ही की जाएगी। आय-आवक की सूची में एक कॉलम यह भी रखें कि वर्तमान सचिव कितने दिनों से पदस्थ हैं या इसके पूर्व में कौन-कौन मंडी सचिव के रूप में पदस्थ रहे हैं, पदावधि सहित सूची के कॉलम में जानकारी रखें।

आय-आवक की समीक्षा के आधार पर आय-आवक में शीर्ष 05 मंडियों को 31 मार्च 2025 के बाद प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा।

(3) <u>निरीक्षण की कार्यवाही</u>

माह जनवरी 2025 आंचलिक कार्यालयों के निरीक्षण दल द्वारा भोपाल संभाग में कुल 36 निरीक्षण किए गए जिसमें 04 प्रकरणों में दंडात्मक कार्यवाही की गई, इंदौर में 77 निरीक्षणों में 19, उज्जैन में 18 प्रकरणों पर 02, ग्वालियर में 23 प्रकरणो पर 05, सागर में 19 प्रकरणों पर 19 में ही तथा रीवा में 14 निरीक्षण पर 14 तथा जबलपुर में 06 निरीक्षण पर 05 प्रकरणों में दंडात्मक कार्यवाही की गई।

माह जनवरी 2025 निरंक निरीक्षण वाली मंडियों में भोपाल संभाग से रेहटी, ब्यावरा, खिलचीपुर, बैतूल इंदौर से मूंदी, बुरहानपुर ग्वालियर संभाग से

बानमोरकलां, रन्नोद रीवा से रीवा, अमरपाटन, सिंगरौली, कोतमा मंडियों के निरीक्षण की कार्यवाही शून्य रही सबसे अधिक जबलपुर संभाग एवं सागर संभाग की मंडियों द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही में उदासीनता बरती गई।

माह अप्रेल से जनवरी 2025, मंडी समितियों के निरीक्षण दल द्वारा की गई कार्यवाही में सागर संभाग की खरगापुर मंडी ने कोई भी निरीक्षण की कार्यवाही नहीं की है इस संबंध में सचिव, मंडी समिति खरगापुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। जबलपुर संभाग अंतर्गत केवलारी, परसवाडा, मोहगांव एवं घंसौर की निरीक्षण कार्यवाही शून्य है इन्हे भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाए।

निरीक्षण कार्यवाही की जिम्मेदारी मंडी समिति के सचिवों के साथ आंचलिक कार्यालयों के अधिकारियों की भी है। प्रत्येक माह में प्रति मंडी 05 वास्तविक निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(4) लंबित लेखा सत्यापन:-

संभागवार लेखा सत्यापन की कार्यवाही का अवलोकन किया गया। भोपाल संभाग अंतर्गत कुल लंबित लेखों की संख्या 766 है एवं लेखा के सत्यापन में वसूली योग्य शेष राशि 801254/- है। इसी प्रकार इंदौर संभाग में 2406 लेखा सत्यापन हेतु लंबित है। उज्जैन संभाग में लंबित लेखा सत्यापन की संख्या 3523, ग्वालियर संभाग में 3111, सागर संभाग में 595, जबलपुर संभाग में 4859 तथा रीवा संभाग में लंबित लेखा सत्यापनों की संख्या 454 है। जबलपुर संभाग की लेखा सत्यापन में स्थिति काफी लंबित है संयुक्त संचालक संज्ञान लेकर पूर्ण कराएं। समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक स्वयं मॉनिटरिंग कर कार्य पूर्ण करें आगामी मासिक समीक्षा बैठक में पुन: समीक्षा की जाएगी।

(5) मंडी समितियों को प्रदाय ऋण राशि :-

मंडी समितियों को प्रदाय ऋण की स्थिति में 43 मंडियों द्वारा ओवरड्यू ऋण राशि वापस नहीं की गई है। पूर्व में निर्देश थे कि 15 फरवरी 2025 तक राशि वापस की जाए एवं जो मंडियां राशि भेजने की स्थिति में नहीं है उनके सचिव मुख्यालय में प्रतिवेदन सहित उपस्थित हों जिसमे केवल 03 मंडियां श्योपुर बडौद, मेहगांव, राजगढ के मंडी सचिव मुख्यालय में उपस्थित हुए। संयुक्त संचालक/मंडी सचिव दैनिक कार्यों में इस स्थिति की समीक्षा करेंगे एवं वित्त शाखा उक्त के संबंध में नस्ती प्रस्तुत करे।

(6) विभागीय/शिकायतों की जांच स्थिति:-

माह जनवरी 2025 में ग्वालियर, सागर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं रीवा को क्रमश: 01, 07, 02, 05, 14, 06, 05 जांच आवंटित की गई थी जिनमे फरवरी माह में सागर संभाग से 02, उज्जैन संभाग 01 तथा भोपाल संभाग से 01 प्रतिवेदन प्राप्त है।

शिकायतों की जांच के प्रतिवेदन की स्थिति में भोपाल संभाग से 29, इंदौर संभाग से 34, उज्जैन संभाग से 48, ग्वालियर से 30, सागर संभाग से 16, जबलपुर संभाग से 81 एवं रीवा संभाग से 15 तथा मुख्यालय स्तर पर 16 शिकायतों की जांच के प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है। इस संबंध में पूर्व की समीक्षा /समय-सीमा की बैठकों में दिए गए निर्देशों को संज्ञान में रखकर संबंधित जांच अधिकारी समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करें व स्पष्ट जांच प्रतिवेदन मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(7) <u>संभाग की मंडी/उपमंडी प्रांगण के स्वामित्व एवं नामांतरण/विस्तारण की स्थिति:-</u>

संभागवार स्वामित्व एवं नामांतरण की स्थिति की समीक्षा की गई। भोपाल संभाग में बेगमगंज तथा कालाआखर उपमंडी के नामांतरण किए गए हैं, संभाग में 41 नामांतरण शेष हैं। ग्वालियर संभाग में मेहगांव की उपमंडी गोरमी, मकसूदनगढ़ की उपमंडी जामनेर में नामांतरण किए गए हैं एवं शेष लंबित प्रकरणों की संख्या 03 है। समस्त संयुक्त संचालक/मंडी सचिव RCMS पोर्टल पर FOLLOW-UP करते रहें।

संभागवार मंडियों के प्रांगण विस्तारण की स्थिति का अवलोकन किया गया। भोपाल संभाग अंतर्गत औबेदुल्लागंज की उपमंडी मंडीदीप के स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी जिसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मंडी समिति नर्मदापुरम, खिरकिया, टिमरनी, बैतूल को उपयुक्त भूमि का चयन करने हेतु निर्देशित किया गया है। बेडिया मंडी के प्रांगण विस्तार का प्रस्ताव अपूर्ण होने से पुनः प्रस्ताव चाहा गया है। ग्वालियर संभाग अंतर्गत उपमंडी जामनेर की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति जारी होना है। कोलारस एवं पोहरी की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु शासन को प्रेषित की गई है। मुख्यालय स्तर से एवं आंचलिक संयुक्त संचालकों को उक्त कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया गया।

<u>(08) अन्य महत्वपूर्ण निर्देश</u>:-

- संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री/ मंडी सचिव/ उपयंत्री प्रापर्टी मैनेजमेंट पोर्टल पर मंडी की संपत्ति की जानकारी 100 प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मंडी सचिवों की जिम्मेदारी है कि समस्त रिकॉर्ड

उपलब्ध कराएं एवं पोर्टल पर सभी कॉलमों की जानकारी दर्ज होनी चाहिए। (समय-सीमा 14 दिवस)

- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/मंडी सचिवों को स्पष्ट निर्देश है कि मंडी समितियों में आढ़त व्यवस्था लागू नहीं होनी है अगर किसी मंडी में अवैध रूप से आढ़त व्यवस्था संज्ञान में आती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक/मंडी सचिव की होगी।
- मंडियों की मूलभूत व्यवस्था हेतु मुख्यालय के पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन/मंडीरैंकिंग/1050, भोपाल दिनांक 14/02/2025 से मंडियों की समीक्षा/मूल्यांकन के संबंध में पत्र जारी किया गया है, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/मंडी सचिव उक्त पत्र का अवलोकन करें एवं संलग्न निर्धारित मानकों को संज्ञान में लेकर कार्ययोजना बनाकर आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- मंडी सचिव संबंधित कार्यपालन यंत्री से समन्वय कर मंडी की मूलभूत सुविधाओं पर काम करें। मंडी सचिव की जिम्मेदारी है कि मंडी में कार्य हो तथा संबंधित कार्यपालन यंत्री की जिम्मेदारी है कि कार्य की प्रक्रिया का पालन हो।
- संयुक्त संचालक/सचिव स्थिति की समीक्षा करें कि मंडियों में लंबित वेतन/भत्ते की स्थिति निर्मित नहीं हो मंडियां स्वावलंबी हों कर्मचारियों के वेतन/भत्ते समय पर मिले।
- कार्यपालन यंत्रियों/सहायक यंत्री/उपंयित्रयों की जिम्मेदारी है निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, टेस्टिंग लैब में परीक्षण हो, कार्यपालन यंत्री मंडीवार भ्रमण कर समीक्षा करें।
- आंचलिक कार्यालय रीवा के संयुक्त संचालक मंडी समिति शहडोल, उमरिया की नियमन व्यवस्था का आवश्यक रूप से ध्यान रखें।

- संयुक्त संचालक/उपसंचालक समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण जारी होने के पश्चात मुख्यालय को तत्काल 07 दिवस की समय-सीमा में पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तदनुसार समन्वय शाखा प्राप्त पालन प्रतिवेदनों का संक्षिप्तीकरण कर आगामी माह की वीडियो कान्फ्रेंस समीक्षा बैठक के एजेण्डा में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

धन्यवाद ज्ञाप के साथ बैठक का समापन किया गया

(कुमार पुरूषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/व्ही.सी/फरवरी/2136 भोपाल, दिनांक 24/02/20

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. उपसंचालक / कार्यपालन यंत्री/ सहायक संचालक / सहायक यंत्री (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक/उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन बिंदुवार तैयार कर 07 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्यत: उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तदनुसार आगामी वीडियों कॉफ्रेंस समीक्षा बैठक में पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की जा सके।
7. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।
8. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) मध्यप्रदेश।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल